

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5456/

जबलपुर, दिनांक 15/11/2022

श्री मुकेश कुमार बिरहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 30.08.2022 से 03.09.2022 तक 5 दिवस अनाधिकृत रूप से अवकाश का उपभोग करने एवं कारण बताओ नोटिस तथा स्मरण पत्र का जवाब प्रस्तुत न करने के कारण उक्त 5 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही/-


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/5457/

जबलपुर, दिनांक 15/11/2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री मुकेश कुमार बिरहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, यूनिफ कोड नं. 180013989, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


14-11-22

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

A